राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1069/2013/बांसवाडा
मैसर्स जयन्ती लाल मणीलाल सोनी
बांसवाडा — प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, बांसवाडा — अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री रतनलाल जैन
सी.ए. — प्रार्थी की ओर से
श्री एस.के. उपाध्याय
सहायक आयुक्त — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 1.12.2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 49/आरवैट/11–12/बांसवाडा में पारित आदेश दिनांक 14.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक अधिकारी,घट प्रथम,बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 का आदेश दिनांक 11.01.2012 को पारित करते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया है,, जिसे यथावत रखकर अपील अस्वीकार की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन कियका कि कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्राफा व्यवहारियों के लिए प्रशमन स्कीम, 2006(जिसे आगे 'सर्राफा स्कीम' कहा जायेगा) के तहत रू. 12,044/–के स्थान पर रू. 6645/–कम्पोजीशन राशि निर्धारित की है जबकि सर्राफा स्कीम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कर दायित्व से अधिक कम्पोजीशन राशि आरोपित नही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू. 360/–आरोपित किया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी एवं विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सर्राफा स्कीम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से सहायक आयुक्त श्री एस.के. उपाध्याय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त सर्राफा स्कीम, 2006 के क्लॉज 3.4को उद्धृत

करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है,जो पूर्णतया विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने सर्राफा स्कीम, 2006 के क्लॉज 3.4को उद्धृत करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन की वैट एक्ट, 03 की धारा 5(2) के अनुसार कम्पोजीशन फीस कर दर से अधिक नहीं हो सकती। यहां पर जो कम्पोजीशन शुल्क है वह कर दर से कम ही है। यहां सर्राफा व्यवहारियों के लिए प्रशमन स्कीम,2006 की स्कीम 3.1 के क्रम संख्या 02 में 2 लाख रूपये से अधिक किन्तु 15 लाख रूपये तक वार्षिक प्रशमन रकम रू.7200/– है, जो कि 15 लाख का अधिकतम कर रू. 15 हजार होता है। उससे कम है। अतः उक्त तर्क को अस्वीकार किया जाता है।"

अपीलीय अधिकारी के आदेश में सर्राफा स्कीम, 2006 के क्लॉज 3.4 के उद्धरण एवं निष्कर्ष पर विचार करने पर स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने सर्राफा स्कीम, 2006 पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य